

सं०सं०: ६7-13०/एसआईडीसी/पीएम/फेसिलिटीज

दिनांक 2०-०6-2०17

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के निदेशक मण्डल की 295वीं बैठक दिनांक 29.05.2017 के निर्णयानुसार निगम द्वारा नव विकसित/विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन/भूमि आरक्षित करने हेतु पूर्व कार्यालय आदेश संख्या 414-464/एसआईडीसी/पीएम/कॉस्टिंग सेल/फेसिलिटीज दिनांक 16.11.2009 के द्वारा निर्धारित नीति को आंशिक संशोधित करते हुये निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:-

क्र०सं०	अवस्थापना सुविधा	नीति
1.	फायर स्टेशन	1000 से 4148 वर्ग मीटर तक भूमि नि:शुल्क तथा 4148 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की मांग के आंकलन के आधार पर औद्योगिक दर पर आवंटन। उपरोक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा विकसित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों की लागत गणना में अग्निशमन केन्द्र की मांग एवं आवश्यकतानुसार पूर्व में स्वीकृत भवन निर्माण इत्यादि के मद में रु० 217 लाख के स्थान पर शासनादेश संख्या 1285/छ:-पु-8-2016-801 (69)-2015 दिनांक 08.07.2016 के अनुसार अधिकतम रु० 321.91 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जायें।

निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से प्रभावो किया जायें।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक ०/०

सं०सं०: ६7-13०/एसआईडीसी/पीएम/फेसिलिटीज

दिनांक 2०-०6-2०17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक कैम्प, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- समस्त अनुभाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
- समस्त अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
- गार्ड फाइल।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक ०/०